राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.
मुकदमा नंम्बर– 31/2022 जीसीएमएस नम्बर :– 2022/78

1. सैताराम पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर निवासी पथाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।

.... वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र परमानन्द जाति गुर्जर निवासी पथाना तहसील बुहाना।
2. भूलेराम पुत्र परमानन्द जाति गुर्जर निवासी पथाना तहसील बुहाना।
3. डोडी पुत्री परमानन्द जाति गुर्जर निवासी पथाना तहसील बुहाना।
4. हंसरानी पुत्री परमानन्द जाति गुर्जर निवासी पथाना तहसील बुहाना।
5. सरती पत्नी परमानन्द जाति गुर्जर निवासी पथाना तहसील बुहाना।
6. बुद्वराम पुत्र गाडाराम जाति गुर्जर निवासी पथाना तहसील बुहाना।
7. सन्तलाल पुत्र गाडाराम जाति गुर्जर निवासी पथाना तहसील बुहाना।
8. लाली पुत्री गाडाराम जाति गुर्जर निवासी पथाना तहसील बुहाना।
9. सुनेहरी पुत्री गाडाराम जाति गुर्जर निवासी पथाना तहसील बुहाना।
10. गाडी पुत्री गाडाराम जाति गुर्जर निवासी पथाना तहसील बुहाना।
11. गोदा पुत्री गाडाराम जाति गुर्जर निवासी पथाना तहसील बुहाना।
12. धर्मा पुत्री गाडाराम जाति गुर्जर निवासी पथाना तहसील बुहाना।
13. शांति पत्नी जगदीश प्रसाद जाति गुर्जर निवासी पथाना तहसील बुहाना।
14. बैक ऑफ बडौदा शाखा भिर्र जरिये शाखा प्रबन्धक।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना।

..........प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन

:: निर्णय :: **दिनांक : 11–10–2022**

वादी की ओर से वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि –

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:25:56 IST
Reason: SelfAttested

(क) कि वाके ग्राम पथाना स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 265, 266, 271, 272, 273, 279, 280, 281, 342, 347, 351, 360 किता 12 कुल रकबा 5.11 है. में से वादी के 1/2 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 363 रकबा 0.61 है. में वादी के 7/122 हिस्से का बाहमी बंटवारानुसार खाता विभाजित कर लगान भीअलग से कायम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने की कृपा करे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर वादी का खाता विभाजन किये जाने बाबत लिखित में सहमति दी गई। प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से श्री प्रदीप

सैन एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। जबाव दावा प्रस्तुत कर प्रतिदावा के माध्यम से अनुतोष चाहा है कि ग्राम पथाना स्थित खसरा नम्बर 363 रकबा 0.61 में प्रतिवादी संख्या 13 का हिस्सा 27/61 का भी खाता विभाजन किया जावे।

वादीगण की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2075–78 पेश की।

दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 06–07–2022 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट क्रमांक 2474 दिनांक 19–09–2022 (इस कार्यालय को प्राप्त दिनांक 20–09–2022) को प्राप्त हुई । अधिवक्ता वादीगण ने न्यायालय हाजा उपस्थित होकर निवेदन किया हैं कि तहसीलदार बुहाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर हम सहमत है, मुताबिक विभाजन प्रस्ताव हमारा विभाजन किया जावे।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। जमाबंदी संवत् 2075–78 खाता सं. 183, 84 ग्राम पथाना में पक्षकारान के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

न्यायालय वाद वादी व प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 13 डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम पथाना तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075 लगायत 2078 के नया खाता सं. 183 के खसरा नंबर 265, 266, 271, 272, 273, 279, 280, 281, 342, 347, 351, 360 क़िता 12 कुल रकबा 5.11 है. एवं खाता खाता संख्या 84 के खसरा नम्बर 363 रकबा 0.61 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श " ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श " ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 11-10-2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:25:56 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारीः– सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.
मुकदमा नंम्बर– 31/2022 जीसीएमएस नम्बर :– 2022/78
निणय दिनांक :– 11–10–2022

सैताराम बनाम जगदीश आदि

<u>दावा बाबत –खाता विभाजन,</u>

वादी की ओर से **श्री दयाराम पटेल एडवोकेट** की उपस्थिति मे तथा प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से श्री प्रदीप सैन एडवोकेट व पक्षकारान की स्वयं की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 11–10–2022 को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी**, बुहाना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी व प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 13 डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम पथाना तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075 लगायत 2078 के नया खाता सं. 183 के खसरा नंबर 265, 266, 271, 272, 273, 279, 280, 281, 342, 347, 351, 360 किता 12 कुल रकबा 5.11 है. एवं खाता खाता संख्या 84 के खसरा नम्बर 363 रकबा 0.61 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श " ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श " ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख ---------------- को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:25:56 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना